NDS/2014/Pamphlet

राष्ट्र में न्यायशील व्यवस्था की स्थापना के हितलाभ
(Benefits of Establishing Justifiable System in the Nation)

वणिकों को प्रमुख हितलाभ (Main Benefits to Commercial Workers)

1. वणिकों के लिए प्रतिपरिवार एक कर्म, एक पद, एक सम्पदा धारण करने का अधिकार परिवारप्रमुख की पात्रता के अनुरूप वाणिज्यिक क्षेत्र में सुलभ होगा। पूँजीहीन वणिकों को प्रतिपरिवार 5 लाख या कोई भी समुचित सीमा तक वाणिज्यिक संसाधन सरकार द्वारा सुलभ होगा। परिवार का अभिप्राय पति-पत्नी और उनके अवयस्क बच्चों एवं आश्रितों से होगा। प्राथमिक आयु के 25 वर्ष तक अवयस्कता मानी जाएगी।

2. जिन वणिकों के पास उपरोक्त सीमा से न्यून वाणिज्यिक संसाधन होगा, उस न्यून मात्रा की पूर्ति सरकार द्वारा करी जाएगी। वणिकपद पर नियुक्त होने के पश्चात् सरकार की ओर से वाणिज्यिक संसाधन की सहायता केवल एक बार प्राप्त होगी।

3. वणिकों के पास निर्धारित सीमा तक वाणिज्यिक संसाधन निःशुल्क रूप से सुलभ होगा। इस निःशुल्क सरकारी संसाधन की रक्षा न कर पाने वाले अथवा उसके द्वारा अपना वाणिज्यिक कर्म न कर पाने वाले वणिकों को वाणिज्यिक संसाधन खो बैठने पर उन्हें वणिकपद के पात्र न मानते हुए उन्हें कृषकपद पर नियुक्त कर दिया जाएगा तथा कृषिसंसाधन सुलभ कराया जाएगा।

4. जिन वणिकों के पास प्रतिपरिवार निर्धारित सीमा से अधिक वाणिज्यिक सम्पदा होगी, उस अतिरिक्त सम्पदा पर उस वणिकपरिवार का ऐच्छिक एवं स्वतन्त्र स्वामित्व होगा। अतिरिक्त वाणिज्यिक सम्पदा को धारित अथवा हस्तांतरित करने का अधिकार वणिकों को प्राप्त होगा।

5. प्रतिपरिवार निर्धारित वाणिज्यिक सम्पदा न्यूनतम सीमा से अधिक होने पर भी वह वणिकपरिवार के स्वामित्व वाली होगी। वणिक द्वारा उस अतिरिक्त सम्पदा को स्वेच्छापूर्वक धारित अथवा बिक्रय, दान, उपहार आदि के रूप में किसी अन्य को भी हस्तांतरित किया जा सकेगा।

6. अक्षय जीविकाकोष **(Eternal Employment Fund)** की स्थापना द्वारा वणिकों के लिए व्यापार, उद्योग, व्यवसाय हेतु आवश्यक भूमि, भवन, यन्त्र, उपकरण, पौध, पशु, नगदी आदि संसाधनों की प्राप्ति के लिए निःशुल्क एवं व्याजमुक्त सरल उधारी प्रदान करनेवाली बैंकिंग सेवा समुचित रूप से सुलभ होगी। यह उधारी स्वैच्छिक किश्तों द्वारा चुकता होने पर उसी राशि तक पुनः प्राप्त हो सकेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्याभूत लाभांशी ऋण प्रदान करनेवाली बैंकिंग सेवा भी सुलभ होगी।

7. वाणिज्यिक उद्यमों का न्यायसंगत स्वरूप त्रिकोणीय होगा, जिसमें उत्पादन के तीनों साधनों श्रम, पूँजी, सुविधा को समान रूप से महत्त्वपूर्ण माना जाएगा। तदनुसार प्रत्येक वाणिज्यिक उद्यम पर तीन पक्षों का समान स्वामित्व होगा तथा उत्पादन का तीन समान भागों में विभाजन होगा।

8. वाणिज्यिक उद्यम द्वारा उत्पादन के तृतीयांश पर श्रमिक का स्वामित्व, तृतीयांश पर पूँजीपति का स्वामित्व एवं तृतीयांश पर सरकार का स्वामित्व प्रतिष्ठित होगा।

9. वाणिज्य के किसी भी संसाधन पर कोई राजस्व अथवा टैक्स का आरोपण नहीं होगा। केवल उत्पादन के तृतीयांश को ही राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यह राजस्व ही राजकोष में जमा होगा।

10. राज्य की ओर से वणिकों को एक निर्धारित समुचित सीमा तक समस्त संसाधन एवं सुविधाएँ

सुलभ करायी जाएँगी। इन्हीं संसाधनों एवं सुविधाओं की आपूर्ति के लिए ही राजस्व की वसूली होगी। यदि सरकार वणिकपरिवार को विद्या, जीविका, सुविधा, संरक्षण प्रदान नहीं करती, तो उसे वणिकों से इस राजस्व की प्राप्ति का कोई न्यायोचित अधिकार नहीं होगा।

11. वणिकों के किसी भी वाणिज्यिक अथवा घरेलू सम्पदा पर टैक्स, रजिस्ट्रीशुल्क, स्टाम्पशुल्क, दाखिल–खारिजशुल्क एवं अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लागू होगा।

12. प्रत्येक वणिकपरिवार को एक सर्वोपयोगी सीमा तक समान और उचित रूप से विद्या, जीविका, सुविधा, संरक्षण की प्राप्ति का न्यायशील जनाधिकार सुलभ होगा। वाणिज्यिक उत्पादन पर तृतीयांश राजस्व की प्राप्ति द्वारा निर्मित राजकोष चार समान भागों में बाँटकर विद्या, जीविका, सुविधा, संरक्षण सेवाओं का संचालन सरकार द्वारा किया जाएगा।

13. वणिकों को वाणिज्यिक परिसर, दुकान, ट्रक, बस, मशीन एवं अन्य वाणिज्यिक यन्त्र, उपकरण, माल आदि की खरीदी पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स केवल सकल उत्पादन का एकमुश्त 1/3 भाग आरोपित होगा, जो आंकिक मुद्रा प्रणाली लागू होने पर बैंकिंग लेन–देन पर 1% या 2% की दर से कटौती द्वारा सरलतापूर्वक संग्रहित किया जा सकेगा।

14. वणिकों के लिए आवासीय भूमि व गृह पर टैक्स नहीं लगेगा तथा सड़क, पानी, बिजली, संचार, परिवहन जैसी सुविधासेवाएँ एवं चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग जैसी संरक्षणसेवाएँ भी एक सर्वोपयोगी सीमा तक निःशुल्क एवं टैक्सफ्री होंगी।

15. वणिकों की प्रतिपरिवार आर्थिक आय को औसत मध्यम आर्थिक जीवनस्तर के समकक्ष बनाए रखने के लिए वणिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के बिक्रय हेतु खुली प्रतियोगिता वाले बाजार द्वारा माँग एवं पूर्ति पर आधारित स्वतन्त्र मूल्यनिर्धारण की व्यवस्था सरकार द्वारा सुलभ होगी।

16. वाणिज्यिक उत्पादनों के लिए विपणन बाजार एवं भण्डार की समुचित सुलभता होगी। प्रतिग्रामक्षेत्र आधार पर समुचितरूप से बाजार प्रतिष्ठित होंगे, जिससे वणिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का सरलतापूर्वक बिक्रय किया जा सकेगा।

17. वाणिज्यिक उत्पाद के तृतीयांश भाग से अधिक मात्रा में किसी भी सुविधालागत की राशि का भुगतान वणिक द्वारा नहीं किया जाएगा। सड़क, बिजली, पानी, परिवहन, संचार, बाजार आदि किन्हीं भी राजकीय सुविधाओं पर कोई शुल्क, कर, अधिभार आदि किसी भी रूप में वणिक द्वारा कुल उत्पादन के तृतीयांश भाग तक ही भुगतान किए जाने की अधिकतम सीमा होगी। साथ ही इन सुविधाओं के वाणिज्यिक उपयोग का भी सीमानिर्धारण होगा।

18. प्रति वणिकपरिवार समुचित वाणिज्यिक संसाधन सुलभ कराने के लिए औसत मध्यम स्तर की आय को सुनिश्चित करने में समर्थ सीमा का निर्धारण किया जाएगा, ताकि संसाधनों की कमी के कारण कोई भी वणिकपरिवार न्यून रोजगार के कारण गरीबी से ग्रस्त न हो।

19. प्रत्येक वणिकपरिवार के लिए आर्थिक आय के उपार्जन सम्बन्धी समस्त अवसरों की समुचित सुलभता को सरकारी नियमों, नीतियों, निर्णयों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

20. वणिकपद से ऊपर उठकर रक्षक, नायक आदि पदों के लिए पात्रतापरीक्षणों द्वारा पदोन्नत होने पर वाणिज्यिक सम्पदा समर्पित अथवा रूपान्तरित करके उच्च कर्म, पद एवं सम्पदा प्राप्त करी जा सकेगी।

21. वाणिज्यिक संसाधन ही वाणिज्यसम्पदा के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। घरेलू उपयोग की सम्पत्ति के अतिरिक्त ऐसी कोई भी सम्पदा जिससे वाणिज्य उत्पाद उपार्जित किया जा सके, उसे ही वाणिज्यसम्पदा माना जाएगा। प्रत्येक वणिकपरिवार को अपनी घरेलू सम्पदा के अतिरिक्त इस वाणिज्यसम्पदा को धारण करने का अधिकार होगा।

22. वणिकपरिवार पर किसी भी प्रकार का कोई मौद्रिक कर अथवा राजस्व आरोपित नहीं होगा, और उसे राजस्व एवं कर विभाग में कोई रिटर्न इत्यादि भी फाइल नहीं करना होगा।

23. वणिकों द्वारा राजस्व के रूप में वाणिज्यिक उद्यम के सकल उत्पाद का तृतीयांश भाग ही राजस्व के रूप में समर्पित किया जाएगा। यह राजस्व केवल नगद धन के रूप में ही वणिकों द्वारा राजकोष में जमा किया जाएगा, अथवा उनके बैंकखातों पर राजस्व एवं कर की सीधी कटौती लागू होगी।

24. वणिक परिवारों को घरेलू सम्पदा धारण करने का अधिकार प्राप्त होगा। वणिकों की घरेलू सम्पदा के अन्तर्गत घरेलू उपयोग की वस्तुओं, जैसे 2500 वर्गफुट तक का आवासीय भूखण्ड तथा उस भूखण्ड पर प्रतिपरिवार आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्धारित समुचित सीमा तक आवासीय भवन एवं घरेलू उपयोग के यन्त्र, उपकरण, उपस्कर, साजसज्जा, वस्त्राभूषण, वर्तन, अन्नादि खाद्य वस्तुएँ एवं नगदी इत्यादि। यह घरेलू सम्पदा वाणिज्य हेतु प्रयुक्त संसाधनों से भिन्न होगी।

25. अन्य नागरिकों की भाँति वणिकपरिवार को भी सरकार की ओर से 2500 वर्गफुट का एक आवासीय भूखण्ड निःशुल्क रूप से सुलभ होगा, जिस पर वणिकपरिवार द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार भवन का निर्माण किया जाएगा। भूखण्ड पर 60% भवननिर्माण की अनुमति होगी, तथा 40% भाग पर घरेलू उद्यानरोपण किया जाएगा, जिससे कि पृथ्वी का पर्यावरण संतुलित एवं जीवन के अनुकूल बना रहे।

26. अन्य वर्गों की भाँति वणिकों के बच्चों को भी 25 वर्ष की आयु तक सम्पूर्ण शिक्षण–प्रशिक्षण राज्य द्वारा न्यायपूर्वक निःशुल्क रूप से सुलभ होगा, जिसके लिए कुल राष्ट्रीय बजट में 25% विद्याबजट का प्रावधान होगा।

27. वणिकों के बच्चों की 20 वर्ष की आयु तक भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन इत्यादि चारों विषयों का समुचित शिक्षण एवं उसके पश्चात् 25 वर्ष की आयु तक कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व इत्यादि चार कर्मों में से पात्रतानुसार किसी भी एक कर्मकौशल के समुचित प्रशिक्षण का पंचवर्षीय पाठ्यक्रम भी लागू होगा।

28. वणिकों के बच्चों के शिक्षण–प्रशिक्षण का 25 वर्षीय विद्यार्थीजीवन पूर्ण होने पर उनके शिक्षण–प्रशिक्षण द्वारा सिद्ध पात्रता के अनुसार एक रोजगार प्रतिपरिवार की दर से उन्हें सुलभ होगा। कर्म, पद, सम्पदा का स्वामित्व उनकी पात्रता द्वारा प्रतिष्ठित होगा।

29. वणिकों के बच्चों को वयस्क होने पर कृषिभूमि, वाणिज्यिकपूँजी, राजकीयवेतन अथवा नेतृत्वभत्ते में से कोई भी एक आर्थिक आयस्रोत उनकी निजी पात्रता के अनुसार सुलभ होगा, जिससे उनकी सन्तान युवा होने पर जीविकाविहीन अथवा बेरोजगार नहीं होंगे। वे कृषक, वणिक, रक्षक, नायक आदि किसी भी पद पर अपनी सिद्ध पात्रता के अनुसार प्रतिष्ठित हो सकेंगे। इसके लिए जाति, वंश, कुल, गोत्र, रंग, लिंग, क्षेत्र, पन्थ आदि भेदों का कोई प्रभाव नहीं होगा। केवल विद्यार्थीजीवन में अर्जित पात्रता ही उनकी पदस्थापना का आधार होगी।

30. यदि कोई व्यक्ति वाणिज्यिक संसाधन पर स्वयं कार्य नहीं करता है, तो उसे वणिक नहीं माना जाएगा। उसे विनियोजक के रूप में पूँजीविनियोजक माना जाएगा। पूँजी विनियोजक को सकल उत्पादन के 1/3 भाग (33%) की प्राप्ति का न्यायोचित अधिकार होगा।

31. यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा केवल वणिज्यिक भूमि/भवन का विनियोग किया गया है, तथा अन्य पूँजी का विनियोग किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, तो वणिज्यिक भूमि/भवन के विनियोग की मूल्यवत्ता 1/6 भाग ही मान्य होगी, तथा कुल उत्पादन का 1/6 भाग ही भूमि के विनियोजक को प्राप्त होगा।

32. यदि वाणिज्यसंसाधन (भूमि, भवन, यन्त्र, उपकरण, नगदी आदि) एवं वाणिज्यिक श्रम के रूप में दोनों प्रकार के विनियोग वणिक द्वारा स्वयं किए गए हों, तो वणिकपरिवार को कुल उत्पादन का 2/3 भाग (66%) प्राप्त होगा, तथा शेष 1/3 भाग (33%) राजस्व के रूप में सरकार या समाज को प्रदान किया जाएगा। यदि सरकार द्वारा सड़क, पानी, बिजली,

परिवहन, संचार आदि सुविधाएँ तथा अन्य सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करी गयी हों।

33. वाणिज्यिक उत्पादनों के वितरण में लागत और लाभ दोनों का समावेश होगा। लागत के अन्तर्गत श्रमलागत, पूँजीलागत, सुविधालागत के रूप में तीन लागतों का समावेश होगा, तथा सकल उत्पादन में से इन तीनों लागतों को घटाकर शेष भाग को ही लाभ माना जाएगा। इस लाभ के अन्तर्गत श्रमगत लाभ, पूँजीगत लाभ, सुविधागत लाभ का समावेश होगा। विनियोग के अनुपात में ही वणिकपरिवार को लागत और लाभ का अनुपातिक भाग सुलभ होगा।

34. वाणिज्यिक उत्पादन पर वाणिज्योद्यम के तीनों स्वामियों का समान अधिकार होगा। श्रम और पूँजी दोनों निवेश वणिक द्वारा संभव हो सकता है, किन्तु तीसरा स्वामित्व सदैव सामाजिक अथवा सरकारी सिद्ध होगा, क्योंकि सरकारी सुविधाओं जैसे– सड़क, पानी, बिजली, परिवहन, संचार आदि के विना कोई भी उद्यम स्थापित नहीं हो सकता।

35. प्रतिवर्ष पदोन्नति हेतु पात्रतापरीक्षण की सार्वजनिक खुली प्रतियोगिता का आयोजन सामाजिक अथवा सरकारी व्यवस्था द्वारा किया जाएगा, जिसमें समाज के चारों पदों कृषक, वणिक, रक्षक, नायक आदि के लिए अपनी पात्रता सिद्ध करने का अवसर सभी नागरिकों को समुचित रूप से सुलभ होगा। वणिकों को भी अपनी पात्रता सिद्ध करके पदोन्नत होने का अवसर प्रतिवर्ष इस प्रतियोगिता द्वारा सुलभ होगा।

36. न्यायशील सामाजिक अथवा राष्ट्रीय व्यवस्था में वणिकपद पर बने रहने के लिए न्यायसिद्धान्त द्वारा निर्धारित समुचित पात्रता को बनाए रखना आवश्यक होगा। वणिकपद के लिए निर्धारित पात्रता क्षीण होने पर पदावनत अथवा बहिष्कृत होना होगा। बहिष्कृत होने का मुख्य जाबूझकर किया गया कारण जघन्य आपराधिक व्यवहार होगा।

37. वणिकों को अपमान, अपकार, अपहिंसा, अपहरण, अपबन्धन इत्यादि पंचअपराधों में जानबूझकर लिप्त पाए जाने पर उन्हें वाणिज्यकर्म, वणिकपद एवं वाणिज्यसम्पदा से न्यायपूर्वक वंचित किया जा सकेगा। अनजाने में किए गए अपराध दण्डनीय नहीं होंगे, बल्कि उनके लिए प्रायश्चित् विधान प्रशस्त होगा।

38. वणिकों के वाद–विवाद का निपटान त्वरित न्यायप्रक्रिया द्वारा निःशुल्क रूप से सुलभ होगा। उनके लिए स्थल पर न्याय **(Justice At Spot)** की व्यवस्था अपनायी जाएगी।

39. वणिकपरिवारों के लिए एक सर्वोपयोगी सीमा तक निःशुल्क विद्या, निःशुल्क जीविका, निःशुल्क सुविधा, जैसे– सड़क, पानी, बिजली, संचार आदि, एवं निःशुल्क संरक्षण, जैसे– चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा एवं बैंकिंग आदि की सुलभता होगी।

40. वणिकपद किसी भी वणिक पति एवं पत्नी के लिए संयुक्त होगा। वाणिज्यसम्पदा पर दोनों का संयुक्त अधिकार होगा। किन्तु किसी भी कारणवश विवाहसम्बन्ध विच्छेद होने पर पुनः दोनों की निजी पात्रता के अनुसार पदनियुक्ति की व्यवस्था होगी। अलग होने पर दोनों के लिए न्यायपूर्वक निर्धारित रोजगार की पूर्ति सरकार द्वारा करी जाएगी।

41. वणिकों के बच्चों को पैतृक सम्पत्ति पाने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार द्वारा न्यायसंगत रोजगार का संसाधन उनकी पात्रतानुसार सुलभ कराया जाएगा। पैतृक लोकसम्पदा पर सीधे किसी भी संतान का अधिकार नहीं होगा। किन्तु पैतृक घरेलू सम्पदा की प्राप्ति माता–पिता की इच्छा पर आधारित होगी।

न्याय धर्म सभा, जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार.

फो0 : 01334-244760, मो0 : 09319360554.

website : www.nyayadharmsabha.org

email : info@nyayadharmsabha.org, nyaydharmsabha@gmail.com